



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177846

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 3885

सन् 2026

प्रभात कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आदर्श कुमार, प्रकाश कुमार यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने दिनांक 23.04.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदर्श कुमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें अभी तक निर्देश नहीं मिला है, इसलिए वे समय मांग रहे हैं।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अंतरिम अग्रिम ज़मानत की मांग कर रहे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 46 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 191(2) और 190 बी.एन.एस, थाना- नवाबगंज, ज़िला- कानपुर नगर में अग्रिम ज़मानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

5. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त/आवेदक का नाम नहीं है। मुख्य आरोप सह अभियुक्त विशाल कुमार पर है। अभियुक्त/आवेदक उसी इलाके का रहने वाला है। वह गोरखपुर में नौकरी करता है। होली की छुट्टियों में वह अपने घर आया था और होलिका दहन के दौरान उसकी तस्वीर ली गई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त/आवेदक का नाम सिर्फ उसी तस्वीर की वजह से सामने आया है। सह-अभियुक्त पर आरोप है कि उन्होंने सूचनाकर्ता विनय प्रताप सिंह के साथ मारपीट की, जिसमें उन्हें केवल दो चोटें आईं - एक सिर के पिछले हिस्से पर कटा हुआ घाव और दूसरी दर्द की शिकायत। अभियुक्त/आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गिरफ्तारी की आशंका के चलते वह अंतरिम अग्रिम ज़मानत की मांग कर रहा है।

6. अग्रिम ज़मानत का दायरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन अहम फैसलों में बताया गया है: गुरुबख्श सिंह सिन्धिया बनाम पंजाब राज्य जो (1980) 2 एससीसी 565 में प्रकाशित है, सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य जो (2011) 1 एससीसी 694 में प्रकाशित है, और सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) व अन्य जो (2020) 5 एससीसी 1 में प्रकाशित है, इन फैसलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम ज़मानत प्रदान करते समय, न्यायालय को आवेदक के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका का मूल्यांकन आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, झूठा या बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए आरोप, अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता, अभियुक्त की विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने की इच्छा तथा अभियुक्त के आचरण एवं फरार होने के जोखिम जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. यह अदालत दलीलों, आरोपों की गंभीरता, आपराधिक इतिहास और गिरफ्तारी की आशंका के साथ-साथ अभियुक्त के भागने का कम जोखिम और विवेचना और विचारण



में सहयोग करने के उसके आश्वासन पर विचार करने के बाद, उसे अंतरिम जमानत देने के विचार पर पहुंची है।

8. उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- प्रभात कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे दिनांक 26.05.2026 तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि का दो जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय से छूट मिलने के अलावा, तय तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(v) आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने के कारण विवेचना अधिकारी के सामक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

9. किसी भी शर्त का पालन न होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को निरस्त कराने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. इस प्रकरण को दिनांक 26.05.2026 को सूचीबद्ध करें।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तारीख तक निर्देश प्राप्त कर लें।"

2. आज, जब प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता को सुना गया।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। जिस वीडियो क्लिप में घटना दिखाई गई है, उसमें सह-अभियुक्त सत्य नारायण द्वारा गोली चलाने की बात कही गई है; यह घटना तब हुई जब सूचनाकर्ता पक्षकार सह अभियुक्त सत्य नारायण के बेटे विशाल को जबरन ले जा रहा था। इस घटना से आवेदक का कोई लेना-देना नहीं है। वह केवल एक राहगीर था जिसे इस प्रकरण में फंसाया गया है।
5. आवेदक इस न्यायालय के दिनांक 23.04.2026 के आदेश के तहत अंतरिम अग्रिम जमानत पर था, क्योंकि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को कोई निर्देश नहीं मिले थे। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।
8. इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3649/2026 में सह-अभियुक्त सत्य नारायण को अग्रिम जमानत दी है। आवेदक का प्रकरण भी सह-अभियुक्त सत्य नारायण के प्रकरण जैसा ही है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक, जो इस न्यायालय के आदेशों के तहत अंतरिम अग्रिम जमानत पर है, के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया हो।
9. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैं आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।
10. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
11. आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को इसके द्वारा पुष्ट किया जाता है। अगर ऊपर बताए गए प्रकरण में आवेदक - **प्रभात कुमार** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उसी शर्तों और नियमों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो दिनांक 13.07.2026 के पिछले आदेश में तय की गई थीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

21 अगस्त, 2026

कुशल